

सं.1-11034/21/2014-एल.डब्ल्यू.ई.ओ.-II

भारत सरकार  
गृह मन्त्रालय  
वामपंथ अतिवाद विभाग  
(एल.डब्ल्यू.ई.ओ. स्कंध)

कमरा न.210-A, नॉर्थ ब्लॉक,  
नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 2014

सेवा में

डॉ० नूतन ठाकुर  
5/426, विराम खण्ड,  
गोमति नगर,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना।

संदर्भ इस मंत्रालय का पत्र संख्या A-43020/01/2014-RTI दिनांक 27 जून 2014 है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए आपके दिनांक 15.05.2014 के आवेदन की एक प्रति अवर सचिव (आर.टी.आई.), गृह मंत्रालय द्वारा इस विभाग को दिनांक 4 जुलाई 2014 को प्राप्त हुई है।

2. इस संदर्भ में आपको यह सुचित किया जाता है कि वामपंथ अतिवाद विभाग के वामपंथ अतिवाद अभियान-II अनुभाग में आपके, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए दिनांक 15.05.2014 के आवेदन, से संबंधित कोई सूचना नहीं है एवं आवश्यक सूचना शून्य समझी जाए।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत अपिल, यदि कोई हो, तो वह इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर की जाए एवं यह अपिल श्री एम.ए.गणपति, संयुक्त सचिव (एल.डब्ल्यू.ई.), कमरा सं.193-A/1, नार्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली-110001 को प्रेषित की जाए।

*दीपक कुमार केडिया*

(दीपक कुमार केडिया)

निदेशक (एल.डब्ल्यू.ई.ओ.-II) & सीपीआईओ

टेली.फैक्स: 011 23092670

प्रतिलिपि:

- ✓ अनुभाग अधिकारी (आई.टी.), नार्थ ब्लॉक - इस अनुरोध के साथ की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किए गए आवेदन दिनांक 15.05.2014 तथा इस अनुभाग के जवाब की प्रति, डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 15.04.2013 के दिशा-निर्देशों के तहत, गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड की जाए।

43421 BTJ/MH/R-14

सं. ए-43020/01/2014 आर टी आर

3

PLEASE ISSUE  
RIS SECTION

भारत सरकार  
बृह मंत्रालय

18/6/14

नई दिल्ली, दिनांक : 09/06/2014

कार्यालय जापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री श्रीमती सुशीला~~ श्री. गूतन  
ठाकुर का आवेदन।

\*\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना नुईया कमाने के संबंध में ~~श्री श्रीमती सुशीला~~ श्री. गूतन ठाकुर के दिनांक 15/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में से अंतरिम रूप दिनांक 19/05/2014 को प्राप्त) को प्रथम प्रभाग को अद्येधित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जात है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को नीचे उक्त प्राधिकारी को अद्येधित/अंतरित कर दिया जाय।

2. आवेदक ने 10- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 29.05/2014 की राशि से ~~29770~~ 29770 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) ~~नहीं किया है क्योंकि कू के भी लगे फर्म से संबंधित नहीं है।~~

संलग्नक : यथोपरि

o/c

सु. सामंत

(ए. स. स. स. )

जवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

~~हिपु ठाकुर~~ हिपु ठाकुर (न्यायिक)  
नए प्रभाग

एनडीडी - II, जयसिंह रोड, जयसिंह

प्रति सूचनार्थ प्रेषित : 0

श्री श्रीमती/श्री श्री. गूतन ठाकुर

57426 - विराटपुर

गोपनीनगर, कोयंबूर (महाराष्ट्र)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)